हाईकोर्ट की सख्ती : स्वतः संज्ञान से जुड़े मामले की सुनवाई करते दिया फैसला, सरकार और पुलिस को 19 महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

यौन अपराध मामलों में जांच से मुआवजे तक की समयसीमा तय

15 दिनों में प्रारंभिक जांच, डीजीपी को टास्क फोर्स गठित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

12 वीं तक मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा को छात्रवृत्ति की व्यवस्था रेप पीड़िता के बच्चों के लिए हो

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने यौन हिंसा, बलात्कार पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा, त्वरित न्याय, पुनर्वास और मुआवजा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेशशंकर की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, न्यायालयों और संबंधित विभागों के लिए 19 महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। इस मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने अदालत की सहायता करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे।

- जीरो एफआईआर, त्वरित जांच, पुनर्वास, मुआवजा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश
- सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में टू-फिंगर टेस्ट पर पूर्ण रोक का दिया आदेश
- वन स्टॉप सेंटरों की जवाबदेही तय, आश्रय व कानूनी सहायता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

दो माह में जांच पूरी होगी

कोर्ट ने यौन अपराध मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी लाने पर जोर देते हुए प्रारंभिक जांच 15 दिनों तथा अंतिम जांच दो माह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। डीजीपी को ऐसे मामलों की निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) गठित करने का आदेश दिया गया है, जो प्रत्येक तिमाही में मामलों की समीक्षा करेगी।

यौन हिंसा की पीड़ित नारी निकेतन में रहेंगी: अदालत ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को राज्य के सभी वन स्टॉप सेंटरों की कमियां दूर करने और उनकी निगरानी के लिए महिला अध्यक्षता वाली समिति गठित करने का निर्देश दिया है। रांची स्थित नारी निकेतन (शक्ति सदन) को यौन हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय गृह के रूप में उपयोग करने तथा वहां रहने की अवधि पर कोई अधिकतम सीमा नहीं रखने का आदेश भी दिया गया है।

निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश: अदालत ने पॉक्सो मामलों में 24 घंटे के भीतर आश्रय, सुरक्षा और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने, पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी से दर्ज कराने, दूरदराज क्षेत्रों में कानूनी जागरुकता अभियान चलाने तथा स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आवश्यकता पड़ने पर पीड़िताओं और उनके परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा महिला हेल्पलाइन 181 को प्राथमिक हेल्पलाइन बनाकर उसे आपातकालीन सेवा 112 से जोड़ने पर गंभीरता से विचार करने को भी कहा है।

पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सख्त कार्रवाई

अदालत ने पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मीडिया, पुलिस और न्यायालय कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के निपुण सक्सेना मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में टू-फिंगर टेस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और उल्लंघन को पेशेवर कदाचार मानने का आदेश भी दिया गया है।

जीरो एफआईआर दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई

हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को बीएनएसएस, 2023 की धारा 173 के तहत सभी थानों में जीरो एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई करने तथा पुलिसकर्मियों को नियमित प्रशिक्षण देने को कहा है।

दुष्कर्म से जन्मे बच्चे की शिक्षा और छात्रवृत्ति

हाईकोर्ट ने बलात्कार से जन्मे बच्चों की शिक्षा और कल्याण की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ऐसे बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा तथा आईआईटी, एनआईटी, एम्स और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयन होने पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने को कहा गया है।

ट्रायल कोर्ट प्रारंभिक चरण में ही मुआवजा तय करे

मुआवजा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अदालत ने ट्रायल कोर्ट को प्रारंभिक चरण में अंतरिम राहत पर विचार करने और अंतिम निर्णय के समय हर स्थिति में पीड़िता के लिए मुआवजा निर्धारित करने का निर्देश दिया है। मुआवजे का भुगतान 30 दिनों के भीतर करने को भी कहा गया है।

निचली अदालतों में 3 हजार केस यौन उत्पीड़न के लंबित

■ निशि कान्त

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य की सभी संबंधित अदालतों को समयबद्ध ट्रायल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में राज्य भर की निचली अदालतों में तीन हजार से अधिक यौन अपराधों के मामले लंबित है।

हाईकोर्ट का यह निर्देश ऐसे समय आया है जब झारखंड की विभिन्न अदालतों में दुष्कर्म और पॉक्सो से जुड़े बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। वर्तमान में राज्यभर की निचली अदालतों में तीन हजार से अधिक यौन अपराधों के मामले लंबित हैं। इनमें से पांच-छह साल पुराने मामले भी हैं। गवाही के कारण ऐसे मामले लंबित चले आ रहे हैं। यौन अपराध के सबसे अधिक मामले गिरिडीह जिले में हैं, यहां सिर्फ पोक्सो एक्ट के 388 मामले लंबित हैं। दूसरे नंबर पर रांची है। यहां पोक्सो एक्ट के 295 मामले लंबित हैं। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण पीड़िताओं और उनके परिवारों को वर्षों तक न्याय का इंतजार करना पड़ता है। अदालत ने माना कि यौन अपराधों के मामलों में देरी न्याय के उद्देश्य को प्रभावित करती है और पीड़ितों के पुनर्वास में भी बाधा बनती है। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को यौन अपराधों की जांच और गवाहों की पेशी सुनिश्चित करने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने तथा मामलों की त्रैमासिक समीक्षा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य की फास्ट ट्रैक और विशेष अदालतों में लंबित दुष्कर्म मामलों के त्वरित निष्पादन का दबाव बढ़ेगा। कानूनी जानकारों का मानना है कि आदेश का प्रभावी पालन होने पर पीड़िताओं को शीघ्र न्याय मिल पाएगा।

किस जिले में कितने मामले

रांची	295	हजारीबाग	223
बोकारो	90	जामताड़ा	55
चतरा	193	खूंटी	25
डाल्टनगंज	254	कोडरमा	32
देवघर	56	लातेहार	197
धनबाद	87	लोहरदगा	91
दुमका	118	पाकुड़	31
जमशेदपुर	153	रामगढ़	87
गढ़वा	173	साहिबगंज	196
गिरिडीह	388	सरायकेला	13
गोड्डा	104	सिमडेगा	81
गुमला	121	चाईबासा	148

(साल 2020 से 9 जून 2026 तक)

सियासत 30s

राज्य सरकार को कोर्ट की फटकार

रांची। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नियुक्ति मामले में नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार पर नाराजगी जताई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को शुक्रवार तक नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, अन्यथा अवमानना मामले में प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप गठित किए जाएंगे। कोर्ट ने सरकार की ओर से समय देने का आग्रह भी खारिज कर दिया। अब सुनवाई 12 को होगी।

कृषि व्यापार मेले में सीएम को आमंत्रण

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबू बकर सिद्दीक ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को झारखंड कृषि व्यापार मेला-2026 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मेला का आयोजन 16 से 18 जून तक रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा।

लालू यादव का 11 को मनेगा जन्मदिन

रांची। प्रदेश राजद कार्यालय में मंगलवार को बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। कैलाश यादव ने कहा कि बिरसा मुंडा के उलगुलान से ब्रिटिश सरकार को सीएनटी एक्ट पास करना पड़ा। साथ ही बताया कि 11 जून को राजद कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन मनेगा।

धरती आबा का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा: सीएम

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद दोनों ने बिरसा चौक स्थित प्रतिमा पर उन्हें नमन करते हुए उनके कृतित्व को याद किया। सीएम ने मीडिया से कहा कि धरती आबा का जीवन-बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया है कि अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष ही सबसे बड़ी शक्ति है।

नैतिकता नहीं बताएं झारखंड आंदोलन खरीदने वाले: बीजेपी

आमने-सामने

16 विधायक रखकर कांग्रेस खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर रही

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग करने के आरोप लगाने पर करारा प्रहार किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस ने लोकलाज की सारी मर्यादाओं को लांघने का काम किया है। यह वही कांग्रेस है, जिसने झारखंड आंदोलन को तीन करोड़ में खरीदा।

उन्होंने कहा कि 16 विधायक रखकर कांग्रेस खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर दूसरे को उपदेश दे रही है। कांग्रेस बताए कि वह 28 सदस्य कैसे पूरा करेगी? भाजपा पैसे की राजनीति नहीं करती है। खरीद-फरोख्त पर हमारी पार्टी विश्वास नहीं करती है। इसलिए कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब कोई बात करनी चाहिए। पैसों से लोगों को तौलना कांग्रेस का स्वभाव है। कांग्रेस झारखंड को दीमक की तरह चाट रही है। ये लोग भाजपा को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएं। कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है। बोली लगाने, डराने, धमकाने के लिए उन्हें अन्यत्र ले जाने की तैयारी है। कांग्रेस बताए कि वह विधायकों को बाहर क्यों ले जाना चाहती है?

विधायकों की खरीद-फरोख्त भाजपा का चरित्र : कांग्रेस

भाजपा की नापाक कोशिश झारखंड और अन्य राज्यों में पूरी नहीं होगी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव ने आदित्य साहू के आरोपों को उनकी हताशा करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मर्यादा की दुहाई देने वाली बीजेपी का इतिहास देश के सामने है। ऑपरेशन लोटस के जरिए चुनी हुई सरकारों को गिराना और विधायकों की खरीद-फरोख्त करना भाजपा का मुख्य चरित्र बन चुका है। जो पार्टी खुद शीशे के घरों में रहती है, उसे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।

शाहदेव ने कहा कि गोवा, मणिपुर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और खुद झारखंड में बाबूलाल मरांडी से लेकर आजसू पार्टी और अन्य विधायकों के साथ भाजपा ने जो खेल अतीत में खेले हैं, क्या वह लोकतंत्र की मर्यादा थी? उन्होंने बताया कि अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने झारखंड में चार विधायकों की संख्या कम रहने के बावजूद एक उद्योगपति को आगे कर हॉर्स-ट्रेडिंग की आशंका को उत्पन्न कर दिया है। झारखंड की जनता यह पूछना चाहती है कि एक उद्योगपति और बाहरी व्यक्ति के लिए भाजपा की सहानुभूति क्यों? क्या भाजपा के पास झारखंड का कोई स्थानीय कार्यकर्ता या चेहरा नहीं था, जिसे वह राज्यसभा भेज सके?

सोशल मीडिया से

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा है कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर चल रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान मंगलवार को श्रीनगर के निशात क्षेत्र में मोहम्मद शफी ट्राम्बू के आवास पर जाकर उनके परिजनों एवं स्थानीय नागरिकों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान क्षेत्र के विकास, जनकल्याण एवं स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई तथा लोगों के सुझावों और अपेक्षाओं को सुना।

पीएच.डी. उपाधि

करम सिंह मुण्डा

कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची के आदेशानुसार करम सिंह मुण्डा (UGC-NET) संप्रित सहायक प्राध्यापक विश्वविद्यालय मुण्डारी विभाग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय रांची विश्वविद्यालय, राँची माता-श्रीमती सोमवारी मुण्डा, पिता-श्री रामधन सिंह मुण्डा, गांव-पुँड़दाग, पो.+थाना-सोनाहातु, जिला, राँची, झारखण्ड-835204 को राँची विश्वविद्यालय, राँची की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय द्वारा मार्च 2026 को आयोजित मौखिकी परीक्षा में पीएच.डी. उत्तीर्ण घोषित किया गया। इन्होंने डॉ. मुश्ताक अहमद पूर्व विभागाध्यक्ष नागपुरी विभाग डोरण्डा महाविद्यालय राँची के निर्देशन में- **"मुण्डारी भाषा साहित्य-संस्कृति में असरिता टूटी की भूमिका: एक अध्ययन"** विषय पर अपना शोध कार्य पूर्ण किया है।

कांग्रेस की जीत का दारोमदार द्वितीय वरीयता पर

राज्यसभा चुनाव

- इंडिया गठबंधन के पास अपने 56 वोट, झामुमो को 30 से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद
- झामुमो प्रत्याशी को 28 से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए बढ़ेगी परेशानी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में राज्यसभा की दो सीट के चुनाव के लिए मुकाबला रोचक हो गया है। झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी के बीच कड़ा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन के पास अपने 56 वोट हैं।

अगर इंडिया गठबंधन में झामुमो-कांग्रेस प्रत्याशी को सीधे 28-28 वोट मिले तो उनकी जीत पक्की है, लेकिन अगर एकाध वोट भी कम हुआ द्वितीय वरीयता के आधार पर फैसला होगा।

ऐसे में पूरी संभावना है कि झामुमो प्रत्याशी को 30 से अधिक वोट मिलेंगे। पार्टी दो-चार वोट अतिरिक्त लेकर चलेगी, ताकि किसी कारण से एक-दो वोट रद्द भी होते हैं तो भी पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो जाए। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी को द्वितीय वरीयता के आधार पर मिलने वाले वोटों की गिनती पर निर्भर होना पड़ सकता है। कांग्रेस के पास अपने 16, राजद के चार और माले के दो वोट हैं। उन्हें सीधी जीत के लिए अपने, राजद, माले के अलावा झामुमो के भी छह वोट चाहिए, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही है।

बिहार फैक्टर भी पड़ सकता है भारी: बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के तीन विधायक वोट देने नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से राजद प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में झारखंड राज्यसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे पुरानी बात कह रहे हैं, लेकिन राजद आलाकमान के निर्देश के अनुसार ही पार्टी विधायक राज्यसभा चुनाव में अपना स्टैंड ले सकते हैं।

गठबंधन में एकजुटता बड़ी चुनौती

इंडिया गठबंधन के विधायकों के वोट का एकजुट रहना बड़ी चुनौती है। राजद और भाकपा माले के विधायक आरोप लगा चुके हैं कि उनसे कांग्रेस की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया है। वे लोग महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस की ओर से अब भी पहल नहीं हुई तो अंतिम समय में परिणाम पक्ष से दूर जाता दिख रहा है।

राज्यसभा चुनाव में विकास करने वाले को दूंगा वोट: जयराम

रांची। विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में तीनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं। वे उन्हें वोट डालेंगे, जो काम और विकास करेगा। हमारे क्षेत्र और लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा होगा। एक प्रत्याशी के लोगों ने सहयोग मांगा है, लेकिन अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है।

जयराम ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबकी नजर होती है, मुझे सहयोग चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इस सांसद के माध्यम से काम हो। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में नहीं हूं। हर काम के लिए लड़ना पड़ता है। उस व्यक्ति का समर्थन देंगे, जिसकी एक दृष्टि मेरे विधानसभा क्षेत्र पर भी हो। जयराम ने कहा कि महागठबंधन ठीक से नहीं चल रहा है। एक दूसरे के प्रति झामुमो और कांग्रेस में कैसा प्रेम है, सभी जान रहे हैं।

नथवानी के वकील ने सौंपा बिंदुवार लिखित जवाब

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन पत्र पर विवाद खड़ा हो गया है। नामांकन पत्र को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार ने नथवानी से 10 जून सुबह 11 बजे तक बिंदुवार पक्ष रखने को कहा है। इधर, नथवानी के एडवोकेट की ओर से बिंदुवार लिखित जवाब मंगलवार शाम पांच बजे से पहले निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। नथवानी पक्ष की ओर से जानकारी दी गई है कि सभी आपत्तियों का बिंदुवार जवाब सौंप दिया गया है। सभी बिंदु मामूली प्रकृति के हैं। वहीं भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बताया कि कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए छोटे-छोटे बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की है।

निर्वाची पदाधिकारी ने पक्ष रखने के लिए भेजा पत्र: सोमवार को झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने नामांकन दाखिल किया था। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी की गई। इसी में यह आपत्ति दर्ज कराई गई। निर्वाची पदाधिकारी एवं झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार ने लिखित आपत्तियों पर अपना पक्ष रखने के लिए नथवानी को पत्र भेजा। उनके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि को 10 जून सुबह 11 बजे उपस्थित होकर आपत्तियों का निराकरण करने के लिए कहा गया है। झामुमो प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी को भी उपस्थित रहने को पत्र भेजा है।

नामांकन विवाद: विवेक करेंगे प्रणव झा का समर्थन

प्रणव झा के समर्थन के लिए सांसद सह सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा बुधवार को रांची पहुंच रहे हैं। प्रणव ने परिमल नथवानी के नामांकन पर सवाल उठाए हैं। वकील विवेक तनखा कांग्रेस का पक्ष कानून के आधार पर मजबूती से रखेंगे।

न्याय सब के लिए — ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला
स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)
जन-जन के लिए सुलभ, त्वरित एवं किफायती न्याय

JHARKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY — ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

क्या है स्थायी लोक अदालत ?
स्थायी लोक अदालत एक वैधानिक मंच है, जिसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–B के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का सरल, शीघ्र एवं कम खर्च में समाधान उपलब्ध कराना है।
यह मंच विवादों को पहले आपसी समझौते (Conciliation)के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं निर्णय (Adjudication) भी प्रदान करता है।

स्थायी लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएँ
स्थायी लोक अदालत में न्यायालय शुल्क देय नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया सरल एवं अनौपचारिक होती है, जिससे आम नागरिक बिना जटिल कानूनी प्रक्रिया के अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं।
यह मंच विवादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करता है तथा पक्षकारों को आपसी समझौते का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। यदि समझौता नहीं हो पाता है, तो स्थायी लोक अदालत स्वयं मामले का निर्णय कर सकती है। इसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।

किन मामलों की सुनवाई नहीं होती ?
स्थायी लोक अदालत गैर–समझौता योग्य (Non&Compoundable) अपराधों तथा गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं करती है।
इसके अतिरिक्त ऐसे मामले, जिनकी दावा राशि विधि द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो, भी इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

लोक उपयोगिता सेवाएँ (Public Utility Services)
स्थायी लोक अदालत उन विवादों की सुनवाई करती है जो लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित होते हैं। इनमें परिवहन सेवा, डाक सेवा, दूरसंचार सेवा, विद्युत सेवा, जलापूर्ति सेवा, सार्वजनिक स्वच्छता सेवा, अस्पताल एवं औषधालय सेवा तथा बीमा सेवा शामिल है।
इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की जा सकती है।

किन मामलों में आवेदन किया जा सकता है ?
नागरिक विद्युत आपूर्ति एवं बिजली बिल से संबंधित विवाद, जलापूर्ति संबंधी शिकायतें, बीमा दावों से जुड़े विवाद, परिवहन सेवाओं से संबंधित समस्याएँ, डाक एवं दूरसंचार सेवाओं से संबंधित शिकायतें तथा अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान हेतु स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली
1– प्रथम चरण– सुलह (Conciliation)
मामला प्राप्त होने पर स्थायी लोक अदालत सर्वप्रथम पक्षकारों के बीच आपसी समझौता कराने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विवाद का सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।
2– द्वितीय चरण – निर्णय (Adjudication)
यदि पक्षकारों के बीच समझौता नहीं हो पाता है, तो स्थायी लोक अदालत स्वयं मामले के गुण–दोष के आधार पर निर्णय प्रदान करती है।
यही विशेषता स्थायी लोक अदालत को सामान्य लोक अदालत से अलग बनाती है।

सामान्य लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत में अंतर
सामान्य लोक अदालत केवल समझौता कराने का प्रयास करती है। यदि समझौता नहीं हो पाता है तो मामला पुनः संबंधित न्यायालय में वापस चला जाता है। इसका आयोजन विशेष अवसरों पर किया जाता है।
स्थायी लोक अदालत समझौते के साथ–साथ निर्णय भी दे सकती है। यदि समझौता नहीं हो पाता है तो यह स्वयं मामले का निस्तारण करती है। यह नियमित रूप से कार्यरत रहती है।

समझौते से समाधान– स्थायी लोक अदालत के साथ आसान न्याय "
" सुलह भी, निर्णय भी – स्थायी लोक अदालत सभी के लिए "

संपर्क करें– स्थायी लोक अदालत, गुमला जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), गुमला टोल फ्री हेल्पलाइन 15100
PR: 381745 (Law) 26-27

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरसा चौक शाखाः
हिनू, राँची, झारखण्ड – 834002
अनुबंध-सी

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना "अनुबंध–IV–ए (अधिनियम 6 (2) एवं 8 (6) के प्रावधान देखें)

सिक्युरिटी इंटेरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत 6 (2) एवं 8 (6) की धारा के साथ पठित प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूमिकरण और पूर्णगठन एवं सिक्युरिटी इंटेरेस्ट अधिनियम 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना. आम लोगों को तथा विशेष रूप से भाग लेने वाले और प्रत्याभूति दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित प्रतिभूति के पास गिरवी है उसका कब्जा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित प्रतिभूति, द्वारा ले लिया गया है, उसे अधोवर्णित खाताओं की वसूली हेतु **"जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है, जो भी वहाँ है के आधार पर"** बेचा जायेगा। ऋणी / यों / बंधककर्ता/ओं / जमानतदार/रों / सुरक्षित सम्पत्ति/याँ / बकायों / सुरक्षित मूल्य /ई–नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली बृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	यदि कोई ज्ञात बाधा हो तो उसके विवरण सहित अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण	यदि कोई ज्ञात बाधा हो तो उसके विवरण सहित चल / अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण	कुल बकाया / ई-नीलामी की तारीख और समय / प्रारंभ समय से अंत समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी जमा / बोली बृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख और समय
1.	आवदेक: **श्री गुरप्रीत सिंह सलुजा सुपुत्र श्री चरणजीत सिंह** C/o बोल्ला साहु, अमन जीन्स सेंटर, होल्डिंग संख्या 974, अपर चुटिया, पावर हाउस के समीप, हनुमान मंदिर के समीप, राँची जी.पी.ओ., राँची–834001 सह–आवदेक: **श्री अमन प्रीत सिंह, सुपुत्र श्री चरणजीत सिंह,** C/o बोल्ला साहु, अमन जीन्स सेंटर, होल्डिंग संख्या 974, अपर चुटिया, पावर हाउस के समीप, हनुमान मंदिर के समीप, राँची जी.पी.ओ., राँची–834001	अचल संपत्ति जिसका सभी अंश एवं भाग जिसका फ्लैट संख्या ए 301, तृतीय तल, फूलचंद गार्डेनिया में स्थित है जिसका खाता संख्या 90, खेवट संख्या 01, प्लॉट संख्या 644, 645 एवं 646, मौजा – सिरम पावर हाउस रोड, थाना संख्या 210, थाना – चुटिया, वार्ड संख्या 14 के अंतर्गत है। उक्त फ्लैट का सुपर बिल्ट–अप क्षेत्रफल 1690 वर्गफुट तथा कार्पेट क्षेत्रफल 1121 वर्गफुट है, साथ ही बेसमेंट तल में एक कार पार्किंग सहित, जो रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। **सीमाबद्ध चौहद्दी इस प्रकार है: पूरब** – 30 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम** – सीरा अपार्टमेंट (प्लॉट संख्या 639 एवं 600), **उत्तर** – कन्हाई साहू, रामधन साहू एवं गीता देवी का मकान, **दक्षिण** – श्री शिव शंकर सेन गुप्ता का मकान (प्लॉट संख्या 641, 642 एवं 643).	Rs. 52,34,447.76/- (रूपये बावन लाख चौंतीस हजार चार सौ सैंतालीस एवं पैसे छिहत्तर मात्र) + ब्याज एवं शुल्क दिनांक 30.09.2025 से **दिनांक 28.07.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 72,25,000.00 / Rs. 7,23,000.00 / Rs. 10,000.00	सांकेतिक कब्जा / 27.07.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

सह–आवदेक: **श्रीमती रंजीत कौर सलुजा, पत्नी श्री चरणजीत सिंह,** C/o बोल्ला साहु, अमन जीन्स सेंटर, होल्डिंग संख्या 974, अपर चुटिया, पावर हाउस के समीप, हनुमान मंदिर के समीप, राँची जी.पी.ओ., राँची–834001
जमानतदार: **श्री अमरजीत सिंह, सुपुत्र श्री महेन्द्र सिंह,** राजधानी अपार्टमेंट, फ्लैट संख्या ए2, रातु रोड, पिस्का मोड़ (निलांचल कोठी कम्पाउंड) गुरुद्वारा के समीप, हेहल, राँची – 834005

विक्रय की सभी शर्तें एवं दशाएं के लिए कृपया हमारे वेबसाईट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction एवं https://baanknet.com पर जायें / देखें। साथ ही प्रस्तावित बोलीकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल सं 7542032144 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 05.06.2026, स्थान : राँची — नोटः विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा। — ह0/– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा